

प्र० २५

(देखिए नियम-२४२) देखो)

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दी जाने वाली 31 दिसंबर को समाप्त होने वाली नियोजक की वार्षिक विवरणी

1. भवन निर्माण या अन्य निर्माण के स्थापन का पूरा नाम और पता (स्थान, डाकघर, जिला).....
2. स्थापन का नाम और स्थाई पता
3. नियोजक का नाम और पता
4. किये जा रहे भवन निर्माण और अन्य निर्माण कार्य की प्रकृति.....
5. स्थापन के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के उत्तरदायी प्रबंधक या किसी अन्य व्यक्ति का पूरा नाम..... 6. सामान्यतः नियोजित भवन निर्माण कर्मकार की संख्या.....
7. वर्ष के दौरान कुल कार्य के दिनों की संख्या जिसमें भवन निर्माण कर्मकार नियोजित थे.....
8. भवन निर्माण कर्मकारों द्वारा वर्ष के दौरान किए गए श्रमिक दिनों की कुल संख्या
9. वर्ष के दौरान किसी भी दिन नियोजित अधिकतम भवन निर्माण कर्मकारों ने काम किया
10. नीचे दिए गए वर्ष के दौरान हुई दुर्घटनाओं की संख्या:-

(क) कुल दुर्घटनाओं की संख्या

(ख) ऐसी दुर्घटनाओं की संख्या जिनके परिणामस्वरूप 48 घंटों से कम समय के लिए भवन निर्माण कर्मकार शारीरिक रूप से अशक्त हो गए हैं दुर्घटना ग्रस्त भवन निर्माण कर्मकारों की संख्या तथा नष्ट श्रमिक दिनों की संख्या:

(ग) ऐसी दुर्घटनाओं की संख्या जिनके परिणामस्वरूप 48 घंटों से अधिक समय के लिए भवन निर्माण कर्मकार शारीरिक रूप से अशक्त हो गए हैं परन्तु ऐसी निशक्तता तो आंशिक है और न पूर्ण रूप से स्थाई है, दुर्घटनाग्रस्त भवन निर्माण कर्मकारों की संख्या तथा ऐसी हुई दुर्घटनाओं के कारण से नष्ट हुए श्रमिक दिनों की संख्या:

(घ) ऐसी दुर्घटनाओं की संख्या जिनके परिणामस्वरूप स्थाई, आंशिक अथवा पूर्णनिशक्तता हुई दुर्घटनाग्रस्त कर्मकारों की संख्या और ऐसी दुर्घटनाओं के कारण नष्ट हुए श्रमिक दिनों की संख्या:

(ङ) दुर्घटनाओं की संख्या जिन के कारण भवन कर्तकारों की मृत्यु हुई तथा परिणामित मृत्यु संख्या अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त निरीक्षक अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण स्थापन के स्वामियों को यह निर्देश देगा कि वह संबंध राज्य सरकार या समुचित सरकार की बाबत इस अधिनियम की धारा

60 के उपबंधों के आधार पर रजिस्ट्रीकृत स्थापनाओं के नियोजको द्वारा प्रस्तुत की गई वार्षिक विवरणियों की प्रतियां मुख्य निरीक्षक को भेजे।

अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त निरीक्षक स्थापन के स्वामियों को, जो कि इस अधिनियम की धारा 60 के उपबंधों के आधार पर सबद्व राज्य सरकार द्वारा लियुक्त रजिस्ट्रीकृत आफिसर द्वारा रजिस्ट्रीकृत किए गए, निदेश देगा कि वे अपनी वार्षिक विवरणियों की प्रतियां मुख्य निरीक्षक को भेजे।

11. स्थापन के प्रबंधन में, उसके स्थान या किसी अन्य में यदि बदलाव करना है तो उसकी विशिष्टियां रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में जिसमें तारीखें भी उपदर्शित हो, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को देनी होगी।

स्थान :

तिथि :

नियोजक के हस्ताक्षर